R.B.E. No. 32

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD.
****

No. F(E)I/2006/AL-28/15 New Delhi, Dated. 12.03.2008

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units,
(As per Mailing List)

Sub: Admissibility of Daily Allowance to Staff Car Drivers.

On receipt of a reference from one of the field units regarding admissibility of Daily Allowance (DA) to Staff Car Drivers, who move out of their headquarters beyond 8 Kms. in their official car on duty, the matter has been examined in Board's office. During the course of the examination, it has come to the notice of the Board that different practices are being followed by the Zonal Railways in this respect, hence it has been desired by the Board to clarify the extant provisions in order that the same are followed uniformly by all concerned. Accordingly, the Zonal Railways, etc. are advised to regulate payment of D.A. to Staff Car Drivers as per the extant provisions, briefly stated in Para 2 below.

2. Staff Car Drivers are not entitled to draw D.A. during the period of their prescribed hours of duty even if they move out in their official car beyond eight Kms. from their headquarters. As per the provisions contained in Supplementary Rule 186 and Government of India's order (1) there under, read with Note 8 under Rule 26 of Staff Car Rules, Staff Car Drivers are entitled to draw Overtime Allowance (OTA) for the period of work performed beyond the prescribed hours of duty. When they perform local journeys for distance exceeding 8 Kms. beyond prescribed hours of duty and such journeys involve absence of a night from headquarters, they are entitled to draw D.A. under ordinary rules admissible to other employees, for the period beyond duty hours, in addition to OTA. In case the journey does not involve their absence of one night from their headquarters, they are entitled to draw D.A. for the period beyond duty hours subject to the condition that no OTA shall be payable for the period with reference to which D.A. has been drawn. In such cases, they have the option to draw either OTA or D.A. on any day on which such journeys have been undertaken.

3. Hindi version is enclosed.

4. Receipt of the letter may be acknowledged.

(MRS. VAIDEHI GOPAL)
Dy. Director Finance (Estt) ,
Railway Board.

Contd...2/-

आर बी ई सं. 32.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. एफ (ई)1/2006/ए एल-28/15 नई दिल्ली, दिनांक 12.03.2008

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषयः स्टाफ कार ड्राइवरों को दैनिक भत्ते की ग्राह्यता.

स्टाफ कार ड्राइवर, जो ड्यूटी पर अपनी सरकारी कार से अपने मुख्यालय से 8 किमी से आगे यात्रा करते हैं, को दैनिक भत्ते की ग्राह्यता के संबंध में एक फील्ड यूनिट से एक संदर्भ के प्राप्त होने पर, मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है. जांच के दौरान, बोर्ड के नोटिस में यह आया है कि इस संबंध में क्षेत्रीय रेलों द्वारा अलग-अलग पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, अतः बोर्ड द्वारा यह वांछा की गई है कि मौजूदा उपबंधों को स्पष्ट किया जाए ताकि इन्हें सर्वसंबंधितों द्वारा समान रूप से अपनाया जाए. तदनुसार, क्षेत्रीय रेलों आदि को नीचे पैरा 2 में संक्षेप में दिए गए मौजूदा उपबंधों के अनुसार स्टाफ कार ड्राइवरों को दैनिक भत्ते के भुगतान को विनियमित करने की सलाह दी जाती है.

2. स्टाफ कार ड्राइवर ड्यूटी के अपने निर्धारित घंटो की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं चाहे वे अपने मुख्यालय से अपनी सरकारी कार से आठ किमी से आगे यात्रा करते हों. स्टाफ कार नियमों के नियम 26 के अंतर्गत नोट 8 के साथ पठित अनुपूरक नियम 186 और उसके नीचे भारत सरकार के आदेश (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, स्टाफ कार ड्राइवर निर्धारित घंटों की ड्यूटी से अधिक निष्पादित कार्य की अवधि के लिए समयोपरि भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं. जब वे निर्धारित घंटों की ड्यूटी के बाद 8 किमी से अधिक की दूरी की स्थानीय यात्राएं करते हैं और ऐसी यात्राओं में मुख्यालय से एक रात्रि की अनुपस्थिति शामिल हो तो वे समयोपरि भत्ते के साथ-साथ ड्यूटी घंटों से अधिक की अवधि के लिए, अन्य कर्मचारियों पर लागू साधारण नियमों के अंतर्गत दैनिक भत्ता (डी ए) प्राप्त करने के हकदार हैं. यदि यात्रा में उनके मुख्यालय से एक रात्रि की उनकी अनुपस्थिति शामिल न हो, तो वे ड्यूटी घंटों के बाद की अवधि के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं जो इस शर्त के अध्यधीन है कि उस अवधि जिसके लिए दैनिक भत्ता लिया जा रहा है, के लिए कोई ओ टी ए संदेय नहीं होगा. ऐसे मामलों में, उन्हें किसी भी दिन जब ऐसी यात्राएं की गई है, को ओ टी ए अथवा डी ए प्राप्त करने का विकल्प है.

कृपया पत्र की पावती दें.

वैदेही

(श्रीमती वैदेही गोपाल)
उप निदेशक, वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड.